107

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पचांयती राज विभाग

(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष : 0141–2227884 ई–मेल seprd1235@gmail.com &

क्रमांक : एफ 4 (1135) पराविं/पीसी/सीबीयूडी/नोडल अधिकारी/2023 1044 जयपुर, दिनांकः– 12/07/23

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद् समस्त।

विषयः– सड़कों/सीवरेज व अन्य के निर्माण/विकास कार्यों के दौरान सड़कों की खुदाई से पूर्व सूचना "Call before U Dig (CBuD)" Mobile App पर अपलोड करने के संबंध में।

प्रसंगः– दूरसंचार विभाग, भारत सरकार से प्राप्त ईमेल दिनांक 01.06.2023 तथा सूचना एवं संचार विभाग, राज. के पत्र कमांक 02351/2023 दिनांक 03.05.2023 के कम में।

महोदय,

सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर खुदाई के दौरान विभिन्न आवश्यक सेवाओं पाईप लाईन, पावर केबल, ओ.एफ.सी. केबल इत्यादि के क्षतिग्रस्त हो जाने एवं जनमानस को होने वाली असुविधा के निराकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर "Call before U Dig (CBuD)" mobile app का शुभारंभ किया गया है। mobile app से सभी आवश्यक सेवाओं से संबंधित विभाग एवं विकास कार्य वाले विभागों को जोड़ा गया है तथा सड़क या सार्वजनिक स्थल पर किये जाने वाले खुदाई कार्य की सूचना mobile app पर डाली जाकर विभागों की अनापत्ति (NOC) होने पर ही कार्य किया जा सकेगा।

DoT द्वारा indian telegraph (infrastructure safety) rules 2022 का प्रकाशन भारत का राजपत्र दिनांक 03.01.2023 में किया गया है (प्रति संलग्न)। जिसके अनुसार "It is mandates to use portal or mobile app and casting liability on excavator/excavation agencies to notify any likely excavation through the app to the telegraph/telecom licensee owning or managing telegraph infrastructure. Any damages caused due to negligence and liable to pay damage charges. CBuD app is supported by these provisions" का प्रावधान किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि आपके अधीन चल रहे एवं भविष्य में किये जाने वाले विभिन्न विकास/निर्माण कार्यों की कार्यकारी संस्था एवं संवेदक/फर्मों को उक्त मोबाईल ऐप पर रजिस्टर्ड करवाया जाकर सड़कों की खुदाई से पूर्व ऐप पर सूचना अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करावें।

संलग्न–उपर्युक्तानुसार

भवदीय

(संजय शर्मा)
अधीक्षण अभियंता

o/c

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि. व पंरावि.।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंरावि.।
3. निजी सचिव, आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग।
4. निजी सचिव, अति. निदेशक जनरल (ग्रामीण), दूरसंचार विभाग, संचार भवन, झालाना इंस्टिट्यूशनल एरिया, जयपुर।
5. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
6. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता